(५१)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2585-II/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–7–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चाचौडा जिला गुना के प्रकरण क्रमांक 4(3)अ70/2012–13

1–छोटेलाल पुत्र वंशीलाल
2–पुरषोत्तम उर्फ नाना पुत्र भमरलाल
3–इमरतलाल पुत्र भमरलाल
4–कल्लू पुत्र भमरलाल
निवासीगण ग्राम सानई तहसील कुम्भराज
जिला गुना म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–ललिताबाई पत्नि रामस्वरूप
निवासी तहसील कुम्भराज
जिला गुना म0प्र0
2–गणेशबाई पुत्री श्री घासीलाल पत्नि श्री हजारीलाल मीना
निवासी ग्राम पिपल्याकला तहसील चाचौडा
जिला गुना (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/2/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चाचौडा जिला गुना के प्रकरण क्रमांक 4(3)अ70/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 26–7–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सानई तहसील कुम्भराज की भूमि सर्वे क्रमांक रकवा 2.080 हेक्टर के पूर्व दिशा की दो बीघा तथा पश्चिम दिशा की दो बीघा पर कब्जा दिलाये जाने हेतु अनावेदिका ललिताबाई ने तहसील न्यायालय कुम्भराज में आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 2/अ–70/2012–13 पर दर्ज हुआ जो वाद में 3/4/अ–70/2013–14 पर दर्ज कर कार्यवाही करते हुये कब्जा दिलाये जाने का आदेश दिनांक 24–3–2014 को पारित किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–3–2014 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 32/अपील/2013–14 पर दर्ज होकर विचाराधीन है । अपील विचाराधीन रहते तहसील न्यायालय ने दिनांक 15–7–2014 को एक पत्र इस आशय का लेख किया कि अनावेदक को कब्जा देने के बाद आवेदकगण ने कब्जा वापस कर लिया है इस कारण सिविल जेल भेजा जाने हेतु इस पत्र के साथ तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3/4/अ–70/2013–14 को भेजा गया जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–7–14 को आवेदकगण के विरूद्ध सिविल जेल भेजने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–7–14 से व्यथित होकर यह निगरानी आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया कि अनुविभागीय अधिकारी चाचौडा को अपील को सुना जाकर ललिताबाई की भूमि पर आवेदकगण का कोई कब्जा नहीं है तो उन्हें दण्डित किया जाना भी न्यायहित में उचित नहीं है । फिर भी उसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनदेखा करते हुये आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । तहसील न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है उसकी जॉच कराई जाकर आवेदकगण की भूमि की विधिवत् स्थल जॉच कराई जाकर उसकी नप्ती की जाकर उसकी सीमा सुरक्षित किये जाने के बाद ही रिवीजनाधीन आदेश पारित किया जा सकता है। अंत में आवेदक

अधिवक्ता द्वारा निगरानी में स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है ।

4— अनावेदकगण की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्क में यही अनुरोध किया कि अभिलेख के आधार पर प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाये ।

5— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26—7—2014 के विरूद्ध इस आधार पर पेश की है प्रश्नाधीन भूमि की स्थल जॉच कराई जाकर नप्ती कराई जावे । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 26—7—2014 से आवेदकगण को धारा 250 के अन्तर्गत प्रारूप एक का नोटिस दिया है । अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नोटिस का उत्तर आवेदकगण ने उनके समक्ष दिनांक 12—08—2014 को प्रस्तुत कर दिया है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार से जानकारी मॉगी है। अनुविभागीय अधिकारी की दिनांक 12—08—2014 की आदेश पत्रिका में स्पष्ट है कि जो सहायता इस निगरानी में आवेदक ने इस न्यायालय से मॉगी है उस पर अभी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचार कर निर्णय किया जाना है । स्पष्ट है कि यह निगरानी औचित्यहीन है । अतः यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.